न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 31/2025
दायर दिनांक : 03.11.2025
आदेश दिनांक : 12.12.2025

अनवान

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भू अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द — **प्रार्थीगण**

बनाम

1. मुख्य अभियन्ता, सह क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, डी.सी.एम. अजमेर रोड़, जयपुर
2. अधीक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रिय राजमार्ग वृत उदयपुर
3. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रिय राजमार्ग, वृत उदयपुर
4. तहसीलदार (भूमिधारी) कुम्भलगढ़ — **विपक्षीगण**

आवेदन अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997

उपस्थित :—

श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी
विपक्षी संख्या 1, 2, 3 व 4 अनुपस्थित।

:: निर्णय ::

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 की धारा 3जी(5) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956) का 48) की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1244 (अ) तारिख 20.03.2013, व अधिसूचना संख्या का. आ. 1322 (अ) तारिख 24.03.2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारिख 24 मार्च 2022 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 162 E (चारभुजा—कुंभलगड—हल्दीघाटीद्वारा मावली—भटेवर) के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 94.300 एवं कि.मी. 109.750 से कि.मी. 113. 140 तक के भूखण्ड (2 लेन/2 लेन पेव्ड शोल्डर के साथ बनाने आदि) व कि.मी. 0.000 में कि.मी. 47.300 एवं कि.मी. 72.800 से कि.मी. 94.300 (चारभुजा से कुम्भलगढ

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

हल्दीघाटी नाथद्वारा मावली को जोडते हुऐ भटेवर सेक्शन) तक निर्माण (चौडा करने/दो लैन का बनाने आदि) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन 4 लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध, और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना में उपाबध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 06.04.2018 व 30.03.2022 को राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर दोनों में प्रकाशित किया गया था और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोत प्रयोजन के लिए अर्जन किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोत प्रयोजन के लिए अर्जन के लिए ग्राम मजेरा तहसील कुम्भलगढ़ व ग्राम केलवाड़ा तहसील कुम्भलगढ़ के लिए 3 डी अधिसूचना क्रमांक 1392 (अ) दिनांक 18.03.2019 व अधिसूचना क्रमांक 4414 (अ) दिनांक 21.09.2022 के अनुसरण में तहसीलदार द्वारा प्रमाणिकरण अनुसार 3 जी का प्रस्ताव ग्राम मजेरा के लिए पत्रांक 80–95 दिनांक 13.02.2023 अवार्ड राशि 2,70,37,265/– रूपये व ग्राम केलवाड़ा के लिए पत्रांक 21–31 दिनांक 25.01.2023 अवार्ड राशि 6,73,73,250/– रूपये का अधिशाषी अभियन्ता उदयपुर को भेजा गया। उक्त प्रस्ताव के क्रम में अवाप्ताधीन खसरा से संबंधित हितधारियान द्वारा निरन्तर सक्षम प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित होकर अवाप्ताधीन भूमियों की मुआवजा राशि निर्धारण में डी.एल.सी का अन्तर होने का अवगत कराया गया। जिसके क्रम में तहसीलदार द्वारा डी.एल.सी गलत अंकित होना जाहीर करते हुए प्रमाण पत्र प्रेषित कर अंकित किया कि ग्राम मजेरा डी.एल.सी दर मार्च 2018 कि बजाय फरवरी 2018 डी.एल.सी दर लगी हुई है तथा ग्राम केलवाड़ा डी.एल.सी दर कि बजाय ग्राम केसर की डी. एल. सी दर लगी हुई है। तहसीलदार द्वारा जारी सही डी.एल.सी सम्बन्धित प्रमाण पत्र के अनुसार ग्राम मजेरा मार्च 2018 डी.एल.सी दर व ग्राम केलवाड़ा की सही डी.एल.सी दर अनुसार संशोधित अवार्ड 3 जी का प्रस्ताव ग्राम मजेरा के लिए पत्रांक 11731–11739 दिनांक 04.09.2024 अवार्ड राशि 5,62,15,780/– रूपये व ग्राम केलवाड़ा के लिए पत्रांक 8737–8745 दिनांक 10.06.2024 अवार्ड राशि 13,68,94385/– रूपये का अधिशाषी अभियन्ता उदयपुर को भेजा गया जिस पर अधिशाषी अभियन्ता उदयपुर ने ग्राम मजेरा के लिए पत्रांक क्रमांक 780 दिनांक 19.11.2024 व ग्राम केलवाड़ा के लिए पत्रांक क्रमांक 779 दिनांक 19.11.2024 के द्वारा संशोधित अवार्ड राशि का भुगतान भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से करने कि हिदायत के साथ अनाप्ति जाहीर करने से पत्रांक क्रमांक 19338 दिनांक 20.12.2024 के द्वारा संशोधित अवार्ड राशि का भुगतान करने कि स्वीकृति Ro MORTH जयपुर से चाही गयी जिस पर Ro MORTH जयपुर द्वारा पत्रांक क्रमांक 3288–91 दिनांक 23.01.2025 से अवगत कराया गया कि रा.रा अधिनियम 1956 की धारा 3( ) के तहत् भूमि अधिग्रहण करने के लिये सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति है, व रा.रा अधिनियम 1956 और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की भूमि अधिग्रहण नियमावली के अनुसार की जानी है जिसकी व्याख्या में स्पष्टीकरण जिला मजिस्ट्रेट एवं मध्यस्थ से प्राप्त कि जावें इसलिए उक्त आवेदन पत्र प्रार्थी द्वारा ग्राम मजेरा व ग्राम केलवाड़ा की सही डी.एल.सी. दर के संशोधित अवार्ड राशि का भुगतान करने सम्बन्धित

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

आदेश प्राप्ती के लिए प्रस्तुत किया गया है। ग्राम मजेरा तहसील कुम्भलगढ़ व ग्राम केलवाड़ा तहसील कुम्भलगढ़ कि गलत डी.एल.सी. व सही डी.एल.सी. निम्न प्रकार है।

ग्राम मजेरा

क्रम संख्या	गलत डी.एल.सी. दर फरवरी 2018	सही डी.एल.सी. दर मार्च 2018
1	78.76 / — प्रति वर्गमीटर	211.69 / — प्रति वर्गमीटर
2	20.49 / — प्रति वर्गमीटर	54.98 / — प्रति वर्गमीटर
3	124.39 / — प्रति वर्गमीटर	334.40 / — प्रति वर्गमीटर

ग्राम केलवाड़ा

क्रम संख्या	गलत डी.एल.सी. दर फरवरी 2018	सही डी.एल.सी. दर मार्च 2018
1	53.97 / — प्रति वर्गमीटर	192.90 / — प्रति वर्गमीटर
2	11.57 / — प्रति वर्गमीटर	21.98 / — प्रति वर्गमीटर
3	91.73 / — प्रति वर्गमीटर	492.16 / — प्रति वर्गमीटर
4	53.97 / — प्रति वर्गमीटर	1257.98 / — प्रति वर्गमीटर
5	91.73 / — प्रति वर्गमीटर	1886.98 / — प्रति वर्गमीटर

सहवन से राष्ट्रीय राजमार्ग 162 E (चारभुजा—कुंभलगढ—हल्दीघाटी द्वारा मावली—भटेवर) के लिए कि जाने वाली भूमि अवाप्ति के लिए ग्राम मजेरा व ग्राम केलवाड़ा की गलत डी.एल.सी. की दर से 3 जी का अवार्ड पारित कर दिया गया जिसे सुधारा जाकर सही डी.एल. सी. की दर से संशोधित अवार्ड राशि का भुगतान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। भारत सरकार के राज्य परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के पत्र क्रमांक भ.रा.रा.प्रा.लि./एल/ए.आर.बी./2014 दिनांक 26.12.2014 द्वारा राष्ट्रिय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी (5) के तहत आपको माध्यस्थम नियुक्त करने एवं एवार्ड जारी करने हेतु अधिकृत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आप श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग 162 E (चारभुजा—कुंभलगढ— हल्दीघाटी द्वारा मावली—भटेवर) के लिए कि जाने वाली भूमि अवाप्ति के लिए ग्राम मजेरा व ग्राम केलवाड़ा की सही डी.एल.सी. की दर से संशोधित अवार्ड अनुसार राशि का भुगतान किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2, 3, व 4 अनुपस्थित।

विपक्षी संख्या 1, 2 व 3 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सक्षम प्राधिकारी सही डी. एल. सी. दर से संशोधित अवार्ड जारी कर भुगतान करने हेतु अधिकृत है। तथा निर्धारित डी. एल. सी. दर का निर्धारण किया जावें। अतः निवेदन है कि राजस्व रेकर्ड व प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों पर मनन किया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

वक्त बहस अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956) का 48) की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1244 (अ) तारिख 20.03.2018, व अधिसूचना संख्या का. आ. 1322 (अ) तारिख 24.03.2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारिख 24 मार्च 2022 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 162 E (चारभुजा–कुंभलगढ–हल्दीघाटी द्वारा मावली–भटेवर) के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 94.300 एवं कि.मी. 109.750 से कि.मी. 113. 140 तक के भूखण्ड (2 लेन/2 लेन पेव्ड शोल्डर के साथ बनाने आदि) व कि.मी. 0.000 में कि.मी. 47.300 एवं कि.मी. 72.800 से कि.मी. 94. 300 (चारभुजा से कुम्भलगड हल्दीघाटी नाथद्वारा मावली को जोडते हुऐ भटेवर सेक्शन) तक निर्माण (चौडा करने/दो लैन का बनाने आदि) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडीकरण/ पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन 4 लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध, और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना में उपाबध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 06.04.2018 व 30.03.2022 को राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर दोनों में प्रकाशित किया गया था और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोत प्रयोजन के लिए अर्जन किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोत प्रयोजन के लिए अर्जन के लिए ग्राम मजेरा तहसील कुम्भलगढ़ व ग्राम केलवाड़ा तहसील कुम्भलगढ़ के लिए 3 डी अधिसूचना क्रमांक 1392 (अ) दिनांक 18.03.2019 व अधिसूचना क्रमांक 4414 (अ) दिनांक 21.09.2022 के अनुसरण में तहसीलदार द्वारा प्रमाणिकरण अनुसार 3 जी का प्रस्ताव ग्राम मजेरा के लिए पत्रांक 80–95 दिनांक 13.02.2023 अवार्ड राशि 2,70,37,265/– रूपये व ग्राम केलवाड़ा के लिए पत्रांक 21–31 दिनांक 25.01.2023 अवार्ड राशि 6,73,73,250/– रूपये का अधिशाषी अभियन्ता उदयपुर को भेजा गया। उक्त प्रस्ताव के क्रम में अवाप्ताधीन खसरा से संबंधित हितधारियान द्वारा निरन्तर सक्षम प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित होकर अवाप्ताधीन भूमियों की मुआवजा राशि निर्धारण में डी.एल.सी का अन्तर होने का अवगत कराया गया। जिसके क्रम में तहसीलदार द्वारा डी.एल.सी गलत अंकित होना जाहीर करते हुए प्रमाण पत्र प्रेषित कर अंकित किया। कि ग्राम मजेरा डी. एल.सी दर मार्च 2018 कि बजाय फरवरी 2018 डी.एल.सी दर लगी हुई है तथा ग्राम केलवाड़ा डी.एल.सी दर कि बजाय ग्राम केसर की डी.एल. सी दर लगी हुई है। तहसीलदार द्वारा जारी सही डी.एल.सी सम्बन्धित प्रमाण पत्र के अनुसार ग्राम मजेरा मार्च 2018 डी.एल.सी दर व ग्राम केलवाड़ा की सही डी.एल.सी दर अनुसार संशोधित अवार्ड 3 जी का प्रस्ताव ग्राम मजेरा के लिए पत्रांक 11731–11739 दिनांक 04.09.2024 अवार्ड राशि 5,62,15,780/– रूपये व ग्राम केलवाड़ा के लिए पत्रांक 8737–8745 दिनांक 10.06.2024 अवार्ड राशि 13,68,94385/– रूपये का अधिशाषी अभियन्ता उदयपुर को भेजा गया जिस पर अधिशाषी अभियन्ता उदयपुर ने ग्राम मजेरा के लिए पत्रांक क्रमांक 780 दिनांक 19.11.2024 व ग्राम केलवाड़ा के लिए पत्रांक क्रमांक

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

779 दिनांक 19.11.2024 के द्वारा संशोधित अवार्ड राशि का भुगतान भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से करने कि हिदायत के साथ अनाप्ति जाहीर करने से पत्रांक क्रमांक 19338 दिनांक 20.12.2024 के द्वारा संशोधित अवार्ड राशि का भुगतान करने कि स्वीकृति Ro MORTH जयपुर से चाही गयी जिस पर Ro MORTH जयपुर द्वारा पत्रांक क्रमांक 3288–91 दिनांक 23.01.2025 से अवगत कराया गया कि रा.रा अधिनियम 1956 की धारा 3( ) के तहत् भूमि अधिग्रहण करने के लिये सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति है, व रा.रा अधिनियम 1956 और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की भूमि अधिग्रहण नियमावली के अनुसार की जानी है जिसकी व्याख्या में स्पष्टीकरण जिला मजिस्ट्रेट एवं मध्यस्थ से प्राप्त कि जावें। इसलिए उक्त आवेदन पत्र प्रार्थी द्वारा ग्राम मजेरा व ग्राम केलवाड़ा की सही डी.एल.सी. दर के संशोधित अवार्ड राशि का भुगतान करने सम्बन्धित आदेश प्राप्ति के लिए प्रस्तुत किया गया है। ग्राम मजेरा तहसील कुम्भलगढ़ व ग्राम केलवाड़ा तहसील कुम्भलगढ़ कि गलत डी.एल.सी. व सही डी.एल.सी. निम्न प्रकार है।

ग्राम मजेरा

क्रम संख्या	गलत डी.एल.सी दर फरवरी 2018	सही डी.एल.सी. दर मार्च 2018
1	78.76 / – प्रति वर्गमीटर	211.69 / – प्रति वर्गमीटर
2	20.49 / – प्रति वर्गमीटर	54.98 / – प्रति वर्गमीटर
3	124.39 / – प्रति वर्गमीटर	334.40 / – प्रति वर्गमीटर

ग्राम केलवाड़ा

क्रम संख्या	गलत डी.एल.सी. दर फरवरी 2018	सही डी.एल.सी. दर मार्च 2018
1	53.97 / – प्रति वर्गमीटर	192.90 / – प्रति वर्गमीटर
2	11.57 / – प्रति वर्गमीटर	21.98 / – प्रति वर्गमीटर
3	91.73 / – प्रति वर्गमीटर	492.16 / – प्रति वर्गमीटर
4	53.97 / – प्रति वर्गमीटर	1257.98 / – प्रति वर्गमीटर
5	91.73 / – प्रति वर्गमीटर	1886.98 / – प्रति वर्गमीटर

सहवन से राष्ट्रीय राजमार्ग 162 E (चारभुजा–कुंभलगढ–हल्दीघाटी द्वारा मावली–भटेवर) के लिए कि जाने वाली भूमि अवाप्ति के लिए ग्राम मजेरा व ग्राम केलवाड़ा की गलत डी.एल.सी. की दर से 3 जी का अवार्ड पारित कर दिया गया जिसे सुधारा जाकर सही डी.एल. सी. की दर से संशोधित अवार्ड राशि का भुगतान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। भारत सरकार के राज्य परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के पत्र क्रमांक भ.रा.रा.प्रा.लि. / एल / ए.आर.बी. / 2014 दिनांक 26.12.2014 द्वारा राष्ट्रिय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी (5) के तहत आपको मध्यस्थ नियुक्त करने एवं एवार्ड जारी करने हेतु अधिकृत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आप श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग 162 E (चारभुजा–कुंभलगढ–हल्दीघाटी द्वारा मावली–भटेवर) के लिए कि जाने वाली भूमि

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अवाप्ति के लिए ग्राम मजेरा व ग्राम केलवाड़ा की सही डी.एल.सी. की दर से संशोधित अवार्ड अनुसार राशि का भुगतान किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर गहन मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों व विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं सक्षम अधिकारी भू-अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसमें यह अंकित किया गया है कि पूर्व में जो मुआवजा दिया गया था उसमें सहवन से डीलएसी दर गलत लगा दी गयी थी। जो राजस्व ग्राम मजेरा व केलवाड़ा की होकर उक्त प्रार्थना पत्र सही डीएलसी दर से संशोधित अवार्ड अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान किये जाने का आदेश फरमाया जाने हेतु प्रस्तुत किया है। इस संबंध में अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं करते हुए उक्त संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि वह सही डीएलसी के अनुसार पुनः संशोधित अवार्ड जारी कर नियमानुसार मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 12.12.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)